

प्रेषक,

संजय कुमार सिंह,
अपर निदेशक (वित्त),
न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उ०प्र०,
विनीत खण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ।

सेवा में,

जनपद न्यायाधीश,
मैनपुरी।

सं०-जे०टी०आर०आई०/अधि०-1292

दिनांक: 06 अगस्त, 2024

विषय : प्रशिक्षण संबंधी यात्रा देयक वापसी के संबंध में।
महोदय,

अवगत कराना है कि पत्र सं० 1446/XX दिनांक 16.07.2024 का सदर्थ ग्रहण करना चाहें, जिसके द्वारा यात्रा देयक भुगतान हेतु प्रेषित किया गया है। निम्न यात्रा देयक, यात्रा के एक वर्ष के उपरान्त संस्थान में प्राप्त हुआ है, जिस कारण इस बिल का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है, उनका विवरण निम्नवत् है-

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	प्रशिक्षण अवधि	अभियुक्ति
1	श्रीमती मीता सिंह अपर सत्र न्यायाधीश	31.05.2022 से 04.06.2022 तक	यात्रा देयक भुगतान हेतु कोषागार में 31 मार्च, 2024, 01 जून, 2024 एवं 05 जून 2024 को प्रस्तुत किये गये हैं, जो कि एक वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत किये गये हैं।
2	श्रीमती चेतना चौहान अपर सत्र न्यायाधीश	19.02.2023 से 30.02.2023 तक	यात्रा देयक भुगतान हेतु कोषागार में 31 मार्च, 2024, 01 जून, 2024 एवं 05 जून 2024 को प्रस्तुत किये गये हैं, जो कि एक वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत किये गये हैं।

यात्रा देयक मूलरूप में वापस किया जा रहा है।

संलग्नक-यात्रा देयक मूलरूप में।

भवदीय,

(संजय कुमार सिंह)
अपर निदेशक (वित्त)

संख्या व दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि-

- श्रीमती मीता सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी।
- श्रीमती चेतना चौहान, अपर सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी।

Seen & circulating
conceded judicial
order
20/08/24
San. San. to all Account
for necessary Action

(संजय कुमार सिंह)
अपर निदेशक (वित्त)

20/08/24

आहरण एवं वितरण अधिकारी/
अपर सत्र न्यायाधीश, न्याया0 सं0 04,
मैनपुरी

प्रेषिति,

निदेशक,
न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान,
विनीत खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ,

द्वारा

जनपद न्यायाधीश,
मैनपुरी

विषय:-

न्यायिक अधिकारीगण द्वारा जे.टी.आर.आई में प्रशिक्षण उपरांत प्रस्तुत किये गये प्रशिक्षण यात्रा भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि लेखा लिपिक की आख्यानुसार जनपद न्यायालय मैनपुरी में कार्यरत न्यायिक अधिकारीगण द्वारा न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में प्रशिक्षण उपरांत प्रस्तुत किये गये प्रशिक्षण यात्रा भत्ते के देयक भुगतान हेतु लम्बित हैं जिनका वर्णन निम्नानुसार है:-

क्रम सं0	न्यायिक अधिकारी का नाम	प्रशिक्षण की अवधि	भुगतान हेतु लम्बित धनराशि
01	श्री भूलाराम	03.01.2024 - 02.02.2024	31340
02	श्री कमल सिंह	02.01.2024 - 04.02.2024	31707
03	श्री मोनू	15.01.2024 - 12.04.2024	57800
04	सुश्री अपर्णा सिंह	15.01.2024 - 12.04.2024	57800
05	श्री अखिल चौधरी	15.01.2024 - 12.04.2024	57800
06	श्री श्रयांश निरंजन	15.01.2024 - 19.01.2024	1420
07	श्रीमती विभा धामा	15.04.2024 - 19.04.2024	6710
08	श्री राजीव कुमार पाल	25.09.2023 - 07.10.2023	12340
09	श्री गगनदीप	14.08.2023 - 26.08.2023	12440
10	श्रीमती चेतना चौहान	20.02.2023 - 19.05.2023	46060
11	श्रीमती मीता सिंह	31.05.2022 - 04.06.2022	7000

अतः महोदय से सादर निवेदन है कि प्रशिक्षण यात्रा भत्ते के उपरोक्त वर्णित लम्बित देयकों का भुगतान करने के सम्बन्ध में नियमानुसार उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

सादर।

संलग्नक-

क्रम सं0 01 से 11 तक वर्णित
प्रशिक्षण यात्रा भत्ता देयक (मूल प्रति में)

भवदीय

(जहेन्द्र पाल सिंह)

Mainpuri Judgeship

No. 1446 / XV, Dated 16.07.2024

आहरण एवं वितरण अधिकारी/
अपर सत्र न्यायाधीश, न्याया0 सं0 04,
मैनपुरी

Forwarded.

District Judge

Finance

Registration No.: Ref-Trg/22-Prg-02/8'

Judicial Training & Research Institute, U.P., Lucknow.



This is to certify that Smt. Mita Kumari,
Spl. Judge (SC/ST, Dev. of Atroci Act), Gonda
Participated in the Refresher Training Programme for Addl. District Judge
on Civil & Criminal Matters clubbed with 02 Days Advance Training on CIS
e-court Project and 01 Day Mediation Training for Referral Judges
Organized by the Institute From 31.05.2022 to 04.06.2022

Kushalpal
Course Director

Vinod Singh Rawat
Director

यात्रा व्यय/स्थानान्तरण यात्रा व्यय देयक प्रपत्र

प्रपत्र संख्या-21 (संशोधित)

वित्तीय नियम संग्रह खंड-5, भाग-4
(देखें अध्याय छः प्रस्तर 148, अध्याय सात प्रस्तर 145, 146-ए)

श्रीमती मीरा सिंह
Mainpur T.A.
31/5/22 04/06/22

1-जनपद का नाम मैनपुरी 2-कोषागार का नाम मैनपुरी 3-देयक की अवधि (कब से कब तक) 31/5/22 04/06/22
4-रिकार्ड कोड 1 0 2 5-(क) कोषागार का कोड 0 9 6-देयक पंजी की क्रम-संख्या

5-(ख) उप कोषागार का कोड

7-बाउचर संख्या (कोषागार द्वारा भरा जाना है) 8-बाउचर का दिनांक (कोषागार द्वारा भरा जाना है) 9-आयोजनागत/आयोजनेत्तर/महादेय/गरित (जो अनुमन्य हो सही करें, शेष को काट दें)

10-लेखाशीर्षक का 13 अंकों का कोड + चेक अंक 2 0 1 4 0 0 1 0 5 0 3 0 0 9

(4 मुख्य लेखाशीर्षक + 2 उप मुख्य लेखाशीर्षक + 3 लघुशीर्षक + 2 उपशीर्षक + 2 व्योरेवार शीर्षक)
11-आ0वि0अ0 का पदनाम (क्रम-संख्या 13 के अधिकारियों को छोड़कर) 12-आ0वि0अ0 का कोड

13-स्वयं के लिए आहरण हेतु अधिकृत अधिकारी का नाम श्रीमती मीरा सिंह
14-अधिष्ठान का नाम जनपद-गामालया, मैनपुरी (मुहर लगायी जा सकती है)

15-अनुदान संख्या 0 4 2 16-सोर्स कोड 17-सेक्टर कोड 18-चेक लेखाकार कोड

19-स्वीकृत आदेश संख्या (यदि आवश्यक हो प्रतिलिपि भी संलग्न करें) 20-स्वीकृति की तिथि

लेखाशीर्षक सम्बन्धी विवरण की मुहर					04-यात्रा व्यय हेतु देय शुद्ध धनराशि		रु	पै	
लेखाशीर्षक सम्बन्धी विवरण की मुहर					05-स्थानान्तरण पर व्यय				
क अन्तर्गत	मुख्य लेखाशीर्षक :-				बजट की वर्तमान स्थिति				
	उप मुख्य लेखाशीर्षक :-				मानक मद	कुल आवंटित बजट	इस बिल को सम्मिलित करते हुए कुल व्यय	बजट अवशेष	अभ्युक्ति
	लघु शीर्षक :-					रु	पै	रु	पै
	उप शीर्षक :-				04-यात्रा पर व्यय				
	व्योरेवार शीर्षक :-				05-स्थानान्तरण पर व्यय				
चेक का विवरण :- (केवल चेक द्वारा भुगतान किये जाने की स्थिति में भरा जाना है)					(क) प्रमाणित किया जाता है कि देयक सही एवं नियमानुसार देय है तथा पूर्व में आहरित नहीं किया गया है। संगत नियमों तथा आदेशों की समस्त औपचारिकतायें पूरा करने के बाद देयक प्रस्तुत किया जा रहा है। देयक के अवयवों की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।				
क्रम-संख्या	चेक जिसके नाम निर्गत	चेक की संख्या	चेक की धनराशि रु	पै	चेक निर्गत की दिनांक				

(क) संलग्नक की सूची (यदि कोई हो)- भुगतान हेतु रु 7000 (अंकों में)
पारित किया। साठ हजार रुपये (शब्दों में)

आहरण वितरण अधिकारी
(पदनाम एवं कार्यालय की मुहर)
A.S.J./Spl. Judge
EC Act Mainpur

डिप्टी जज
(पदनाम एवं कार्यालय की मुहर)
MAINPUR

(ख) (I) (केवल बिल पर भुगतान करने वाले कोषागारों के प्रयोग हेतु) भारतीय स्टेट बैंक प्रबन्धक / उपकोषागार बैंक रु (अंकों में) (शब्दों में) भुगतान करें। कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी।
(II) (केवल चेक द्वारा भुगतान करने वाले कोषागारों के प्रयोग हेतु) रु (अंकों में) (शब्दों में) भुगतान हेतु पारित किया जाता है। कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी

(ग) भुगतान प्राप्त किया (प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर) (घ) अधिकृत व्यक्ति का नाम पता हस्ताक्षर
महालेखाकार के प्रयोग हेतु :- स्वीकृत रु अस्वीकृत रु

सम्प्रेक्षक

न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, 30 प्र०

न्यायिक अधिकारी मेस समिति

क्रमांक 1299

रसीद

दिनांक 3.6.22

श्री/सुश्री Smt. Mita Kumari पदनाम Spl. Judge (SC/ST Act) अवधि

आई.डी. नं० नियुक्ति स्थान Gonda

दिनांक 31.5.22 से 4.6.22 तक चलने वाले आधारभूत

प्रशि०/पुनश्चर्या/उबन्तू/कार्यशाल/सेमिनार/विशेष प्रशिक्षण/अन्य कार्यक्रम में मेस व अन्य

सुविधा प्रयोग हेतु दिनांक 31.5.22 से 4.6.22 तक कुल 5

दिन के लिए रु० दो हजार चार सौ मात्र प्राप्त किया।

रु० 2400/-

रसीद की प्रति प्राप्त किया
न्यायिक अधिकारी/अन्य अधिकारी

रु० मेस लिपिक

385 (P)
FOR PAYMENT TO GOVERNMENT
(Form No. 1, Chapter III, Paragraph 26, Financial
Hand-book Volume V, Part I)

Receipt No. A 014655

Place Lucknow Date 3/6/22
Department and Office J. T. R. J.

Received from Smt. Mita Singh Kumari
the sum of Rupees 50000 (Rs Five hundred only)
on account of Room Rent 31/5 to 4/6/22

Signature of Government Servant granting the receipt.
Designation _____
Cashier or Accountant.